प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.सं. 126/2023 दिनांक 24/5/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा सशोधित 2018) धारायें. 7, 7ए
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–...............धारायें.............. 120बी ....
   (3) अधिनियम ....–...............................धारायें.........................–.....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये..–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....472.... समय ......5:05 P.M......
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 23.05.2023 समय – 11.30 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 17.05.2023 समय 2.20 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा

5. घटनास्थल :– आरोपिया के किराये का मकान ग्राम खेडापा जिला जोधपुर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व करीब 85 कि0मी0
   (ब) पता :– खेडापा जिला जोधपुर ।
   ....बीट सख्या..................–....................जरायमदेही सं...–......
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–..............................जिला...............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री कैलाराम
   (ब) पिता का नाम : श्री डुंगरराम
   (स) जन्म तिथि : 34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या...................–...जारी होने की तिथि ...–...........
   जारी होने की जगह ....–..
   (र) व्यवसाय :– मजदुरी
   (ल) पता :– निवासी मेघवालो का बास लवेरा कला तहसील बावडी जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्रीमती एम.एस अनोप पत्नी श्री जयप्रकाश उम्र 28 साल जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर
   2. आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेंवरराम उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारो का बास खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 8,000/– रूपये...

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)...

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी कैलाराम पु0 श्री डूँगरराम जाति– मेघवाल निवासी– मेघवालो का बास लवेरा कला तहसील बावडी जिला जोधपुर कि अर्ज है कि मैं उनू भाखर लवेरा कला मे ट्रेक्टर ट्रोली से पत्थर डालने का कार्य कर मजदूरी करता हुं। मेरे दो ट्रेक्टर उनू भाकर लवेरा कला में चलते है। मेरे गांव के व मेरे मिलने वालो के 15–20 ट्रेक्टर पत्थर ढोने के कार्य मे चलते है। जिस पर अनोपी देवी फोरेस्टर मुझे व अन्य लोगो को प्रति माह रिश्वत के रूप में प्रति ट्रेक्टर 5000 रू. के हिसाब से रिश्वत कि मांग कर रही है। रिश्वत नही देने पर हम सभी को परेशान करती है। मे मेरे उक्त कार्य की एवज में अनोपी देवी को रिश्वत नही देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए उसको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी अनोपी देवी से किसी भी प्रकार की दुश्मनी अथवा रंजिश नही हैं तथा ना ही किसी प्रकार की लेन–देन बकाया है। रिपोर्ट देता हुं कार्यवाही करावें।

दिनांक 17.05.2023

भवदीय
–एसडी–
कैलाराम पुत्र श्री डूँगरराम
जाति मेघवाल नि0 मेघवालो का बास लवेरा कला
तहसील बावडी जिला जोधपुर
मोबाईल नम्बर 6376934184

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.05.2023 को वक्त 2.20 पी.एम. पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री कैलाराम पुत्र श्री डूँगरराम जाति मेघवाल नि0 मेघवालो का बास लवेरा कला तहसील बावडी जिला जोधपुर ने एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट उपरोक्तानुसार इस आश्य की पेश की कि "मैं ट्रेक्टर ट्रोली से पत्थर डाल कर मजदूरी का कार्य करता हुं। मेरे दो ट्रेक्टर उनू भाकर लवेरा कला में चलते है। मेरे गांव के व मेरे मिलने वालो के भी 15–20 ट्रेक्टर चलते है। जिस पर अनोपी देवी फोरेस्टर मुझे व अन्य लोगो को प्रति माह रिश्वत के रूप में प्रति ट्रेक्टर 5000 रू. हिसाब से रिश्वत कि मांग कर रही है। रिश्वत नही देने पर हम सभी को परेशान करती है। मै मेरे उक्त कार्य कि एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए उसको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करावें। तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि मै अनपढ हु केवल अपने हस्ताक्षर करना जानता हु। मैने यह रिपोर्ट बाजार में कम्प्युटर की दुकान पर बोल बोल कर टाईप करवाई थी, रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया व यह भी बताया कि मेरे दो ट्रेक्टर उनू भाकर लवेरा कला में चलते हैं। मेरी अनोपी देवी फोरेस्टर से कोई दुश्मनी नही है और न ही किसी प्रकार का कोई लेन देन बकाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 3.00 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामकिशोर कानि. 110 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री रामकिशोर का परिवादी श्री कैलाराम से आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री कैलाराम एवं श्री रामकिशोर कानि. 110 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री रामकिशोर कानि. के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 03.50 पीएम पर परिवादी श्री कैलाराम ने श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को बताया कि आज रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता होना संभव नही है। कल दिनांक 18.05.2023 को सुबह अनोपी देवी जो खेडापा में रहती है वह अपने घर पर मिलेगी तथा वहा पर ही रिश्वती राशि के सम्बन्ध में वार्ता करेगी। जिस पर परिवादी कैलाराम गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 18.05.2023 को खेडापा में मिलने से सम्बन्धित वार्ता श्री रामकिशोर से करने की हिदायत कर रवाना किया जाकर वक्त 04.00 पीएम पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिलस

द्वारा कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 18.05.2023 को सुबह 6.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आवे तथा मन् निरीक्षक पुलिस से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी श्री कैलाराम से मोबाईल पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

दिनांक 18.05.2023 को वक्त 7.15 एएम पर श्री रामकिशोर कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सहित श्री रामकिशोर कानि. 110 को सुपर्द कर परिवादी श्री कैलाराम से सम्पर्क कर परिवादी श्री कैलाराम व आरोपिया अनोपी देवी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत कर खेडापा की तरफ रवाना किया। वक्त 11.03 ए.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. नं. 110 ने श्रर अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी व आरोपिया के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता परिवादी के बताये अनुसार हो गई हैं। जिस पर श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस ने श्री रामकिशोर कानि. के मोबाईल से ही परिवादी को हिदायत दी की आप रिश्वती राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 19.05.2023 को कार्यालय में उपस्थित आवे एवं पूर्ण गोपनीयता रखी जावें एवं कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत दी कि आप परिवादी को वही छोड कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय पर उपस्थित आवें।

दिनांक 18.05.2023 को वक्त 2.10 पीएम पर श्री रामकिशोर कानि. नं. 110 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह कार्यालय से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डर कर लाने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रोडवेज बस से रवाना होकर खेडापा पहुंचने से थोडा पहले मैने मेरे मोबाईल से परिवादी श्री कैलाराम के मोबाईल नं. 6376934184 पर वक्त 8.51 एएम वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आप खेडापा आ जाओ मैं भी खेडापा आ रहा हुं। मैं खेडापा बस स्टेण्ड पर पहुंचा इसी दौरान वक्त 9.28 पर परिवादी श्री कैलाराम ने अपने मोबाईल फोन नं. 6376934184 से फोन कर मेरे को बताया कि मै खेडापा पहुंच गया हुं जिस पर मैने परिवादी से सम्पर्क कर खेडापा बस स्टेण्ड पर बुलाया तथा आरोपिया अनोपी देवी के बारे में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि अनोपी देवी फोरेस्टर अपने घर पर ही है जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर परिवादी श्री कैलाराम को सुपुर्द कर आरोपिया अनोपी देवी फोरेस्टर के निवास स्थान की तरफ रवाना किया तथा मैं वही पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस–पास ही खड़ा रहा कुछ समय पश्चात परिवादी श्री कैलाराम मेरे पास आया जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। इसी दौरान परिवादी श्री कैलाराम ने मेरे को बताया कि मैं अनोपीदेवी फोरेस्टर के मकान के अन्दर गया जहां पर अनोपी देवी फोरेस्टर मिली उनसे मेरी बात हो गई है तथा मेरे दोनो ट्रेक्टरो को पत्थर ले जाने के दौरान नही पकडने की एवज में 1–2 हजार रुपये कम करते हुए 8,000/– रुपये रिश्वती राशि की मांग करना बताया। जिस पर मैने आपको जरिये फोन अवगत करवाया था तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को खेडापा मे ही छोड कर रवाना हो कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया अनोपी देवी फोरेस्टर के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपिया द्वारा परिवादी से उसके ट्रेक्टरो को पहाड से पत्थर ले जाने देने की एवज में रिश्वती राशि की मांग करने पुष्टि हुई है। जिस पर उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। वक्त 3.15 पीएम पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा गोपनीय कार्यवाही में दो स्वंतत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोन जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर कार्यालय कानि. श्री संजय नं. 587 को सुपुर्द कर गवाहान को लाने हेतु रवाना किया। वक्त 5.15 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवही हेतु गवाह लाने हेतु गया हुआ श्री संजय कानि0 कार्यालय सहायक औषधि विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर से दो गवाह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान को अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय पुछने पर दोनो गवाहान ने बारी–बारी से अपना परिचय श्री स्वरुपसिह पुत्र श्री मानसिह उम्र 37 जाति जाट पेशा नौकरी निवासी ग्राम चितरोडी तहसील व पुलिस थाना भणियाणा जिला जैसलमेर हाल– जे0 161 विवेक विहार योजना जोधपुर हाल फार्मासिस्ट कार्यालय सहायक औषधि विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर मोबाईल नम्बर 8107620051 एवं श्री गणपतलाल पुत्र श्री भीखाराम उम्र 44 साल जाति प्रजापत पेषा नौकरी निवासी मकान नम्बर 4 बी 15 गुणवती हाउस सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर हाल फार्मासिस्ट कार्यालय सहायक औषधि विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर मोबाईल नम्बर 8949892299 के रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य

से अवगत करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 19.05.2023 को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया ।

दिनांक 19.05.2023 को वक्त 7.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कैलाराम एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। परिवादी ने श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत मे दी जाने वाली राशि रुपये 8,000/- अपने साथ लेकर आया हु। वक्त 08.10 ए.एम पर परिवादी श्री कैलाराम ने आरोपिया अनोपी देवी को रिश्वति में दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000/रूपये सहित कार्यालय हाजा पर उपस्थित हैं। श्री अमरारम खोखर निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवही हेतु मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री कैलाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात बताये एवं साथ ही कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री कैलाराम तथा आरोपिया अनोपी देवी फोरेस्टर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरक्षित हालात में सम्भलाये गये एवं परिवादी श्री कैलाराम का मन् निरीक्षक पुलिस से आपसी परिचय करवाया गया तथा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 19.05.2023 को वक्त 08.20 ए.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री कैलाराम की रिपोर्ट, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी श्री कैलाराम को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आई व परिवादी श्री कैलाराम की टाईप शुदा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री कैलाराम से आवश्यक पूछताछ कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री कैलाराम तथा आरोपिया अनोपी देवी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता को सुना गया तो परिवादी के दोनो ट्रेक्टरो को पत्थर ले जाने के दौरान नही पकडने की एवज में 1-2 हजार रुपये कम करते हुए 8,000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 19.05.2023 वक्त 08.40 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र श्री स्वरूपसिंह व श्री गणपतलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर मन् अनु चौधरी ने अपना परिचय देकर दोनो गवाहान का बारी-बारी से अपना परिचय श्री स्वरुपसिह पुत्र श्री मानसिह उम्र 37 जाति जाट पेषा नौकरी निवासी ग्राम चितरोड़ी तहसील व पुलिस थाना भणियाणा जिला जैसलमेर हाल- जे0 161 विवेक विहार योजना जोधपुर हाल फार्मासिस्ट कार्यालय सहायक औषधि विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर मोबाईल नम्बर 8107620051 एवं श्री गणपतलाल पुत्र श्री भीखाराम उम्र 44 साल जाति प्रजापत पेषा नौकरी निवासी मकान नम्बर 4 बी 15 गुणवती हाउस सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर हाल फार्मासिस्ट कार्यालय सहायक औषधि विश्लेषक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर मोबाईल नम्बर 8949892299 के रूप में दिया। तत्पश्चात परिवादी श्री कैलाराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दोनो गवाहान को पढाया गया एवं परिवादी व संदिग्ध आरोपिया अनोपी देवी फोरेस्टर के मध्य आज दिनांक 18.05.2023 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपने पास से निकालकर उक्त रिकार्ड वार्ता के मख्य -मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर गवाहान ने अपनी-अपनी सन्तुष्टी जाहिर कर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की दोनो ने मौखिक सहमति दी तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। वक्त 8.50 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाराम को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री कैलाराम ने रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के आरोपिया को रिश्वत में दिये जाने वाले 500-500 रू. के 16 नोट कुल राशि 8,000/-रू. प्रस्तुत किये। उक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। परीवादी द्वारा दिये गये सभी नोटो पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री कैलाराम की जामा तलाशी गवाह श्री स्वरूपसिंह से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोटो को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार आगे से पिछे हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपिया व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम

कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को समझाया गया। समस्त ट्रेप दल एवं गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके बाद दृष्टांत के काम ली गई ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी मे रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय मे रहने की हिदायत की गई। पुराना अखबार जिस पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ताराचन्द हैड कानि. से जलाया जाकर नष्ट करवाया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री/राशि नही रहने दी गई। मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपने पास 2000/– रू. आवश्यक खर्चे हेतु अपने पास रखे गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 19.05.2023 को वक्त 9.20 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री संजय कानि 587, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह एवं परिवादी श्री कैलाराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. 638 एवं निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सी.जे. 0046 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से खेडापा की तरफ रवाना होकर वक्त 11.15 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री संजय कानि 587, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह एवं परिवादी श्री कैलाराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि.638 एवं एक निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 0046 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा खेडापा बस स्टेण्ड से आगे करीब 4–5 किमी नागौर की तरफ कजनाउ फांटा के पास पहुँच कर सरकारी वाहन एवं निजी वाहन को रोड के साईड मे गोपनीय स्थान पर खडा करवाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाराम से गोपनीय रुप से आरोपिया अनोपी की ग्राम खेडापा मे उपस्थिति बाबत मालूमात करवाया गया तो पता चला कि आरोपिया अनोपी ग्राम लवेरा व कजनाउ की तरफ गई हुई हैं जो शाम तक वापिस खेडापा आयेगी। चूंकि ग्राम खेडापा ग्रामीण एरिया होने के कारण खेपाडा व आस–पास भीड–भाड कम होने से ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता भंग होने की सम्भावना को देखते हुए तथा शाम के समय संदिग्ध आरोपिया के निवास पर रात्रि के समय ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करना व आरोपिया को गिरफ्तार करना उचित नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 20.05.2023 को करने का निर्णय लिया गया।

वक्त 1.00 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाराम के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 8,000/– रुपये रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह से निकलवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि को एक सफेद कागज मे लपेटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह के पास सुरक्षित रखी गई। परिवादी श्री कैलाराम को कल दिनांक 20.05.2023 को वक्त 8.00 एएम पर बस स्टेण्ड खेडापा पर मिलने तथा अब तक की ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी। मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता, मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. 638 एवं निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सी.जे. 0046 से कजनाउ फाटा से रवाना एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये होकर वक्तः 02.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरुपसिह मय ट्रेप राशि 8,000/– रुपये, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री संजय कानि 587, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह एवं परिवादी श्री कैलाराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. 638 एवं निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सी.जे. 0046 के उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह से रिश्वती राशि 8,000/– रुपये जो सफेद कागज मे लपेटी हुई स्थिति मे ही कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक एवं अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। डिजिटल वायस रिकॉर्डर जिसमे दिनांक 18.05.2023 को परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया अनोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हैं को भी मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद स्वतंत्र गवाहान

सर्व श्री स्वरुपसिह एवं गणपतलाल को कल दिनांक 20.02.2023 को वक्त 6.00 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी गई।

दिनांक 20.05.2023 को वक्त 6.00 ए.एम पर पूर्व से पांबद्व सुदा स्वतंत्र गवाहान श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपतलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 6.30 एएम मन् निरीक्षक पुलिस, द्वारा रिश्वती राशि 8,000/– रुपये जो सफेद कागज में लपेटी हुई स्थिति में ही कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवाये गये थे उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि को सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही निकलवाकर श्री स्वरुपसिह गवाह को सुपुर्द किये जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि 587, एवं निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सी.जे. 5366 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से खेडापा की तरफ रवाना हुए।

दिनांक 20.05.2023 को वक्त 8.00 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि 587, एवं एक निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 5366 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा खेडापा बस स्टेण्ड से करीब 2–3 किमी पहले जोधपुर की तरफ पहुँच कर सरकारी वाहन एवं निजी वाहन को रोड के साईड मे गोपनीय स्थान पर खडा किया जहां पर परिवादी श्री कैलाराम अपनी निजी मोटर साईकिल के साथ उपस्थित मिला। परिवादी ने मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को रुबरु स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री कैलाराम ने बताया कि आरोपिया अनोपी अभी–अभी अपने पति श्री जयप्रकाश के साथ स्कुटी से जोधपुर की तरफ गई हैं हो सकता हैं वह बावडी या जोधपुर जायेगी वापस कब तक आयेगी इसका कोई पता नही हैं। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के आरोपिया के वापिस खेडापा आने इन्तजार मे अपनी– अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहें। वक्त 11.00 एम.एम तक आरोपिया अनोपी के ग्राम खेडापा मे आने के इन्तजार मे खडे रहे परिवादी श्री कैलाराम ने अपने स्तर पर मालूमात किया तो आरोपिया अनोपी के खेडापा मे नही आने का मालूमात हुआ तथा परिवादी श्री कैलाराम ने बताया कि अनोपी शायद आज जोधपुर गई होगी आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही हैं तथा परिवादी ने यह भी बताया कि दो–तीन दिन मेरे घर पर जरुरी कार्य हैं इसलिये मै दो दिन तक नही आ सकता। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आइन्दा दिनांक 23.05.2023 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री कैलाराम को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 23.05.2023 को खेडापा मे उपस्थित मिलने की हिदायत कर रुखसत किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि 587, एवं ब्यूरो जाप्ते का निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 5366 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। दिनांक 20.05.2023 को वक्तः 01.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री संजय कानि 587, एवं एक निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 5366 के उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह से रिश्वती राशि 8,000/– रुपये जो सफेद कागज मे लपेटी हुई स्थिति मे ही कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक एवं अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। डिजिटल वायस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 18.05.2023 को परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया अनोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हैं को भी मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपतलाल को आइन्दा तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत दी गई।

दिनांक 22.05.2023 को वक्त 7.53 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी श्री कैलाराम ने अपने मोबाईल नम्बर 6376934184 से फोन कर बताया कि आज मेरे पास अनोपी फोरेस्टर के पति श्री जयप्रकाश जी ने मोबाईल नम्बर 9529445989 से मेरे मोबाईल पर फोन किया तथा श्री जयप्रकाश जी ने मेरे को बताया कि आप अभी तक आये नही अमावश्या भी निकल गई हैं जिस पर मैने कहा कि मै आपके मकान पर आया था आप एवं मैडम घर पर नही थे। जिस पर जय प्रकाश जी ने कहा कि आप कल सुबह आपके व अपने साथ वालो के पैसे लेकर आ जाना एवं आने से पहले मेरे मोबाईल पर बात करके आना। जिस पर वक्त 8.00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कल दिनांक 23.05.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव होने से कार्यालय मे उपस्थित जाब्ते को एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने बाबत पांबद्व किया जाकर उच्च अधिकारियो को परिवादी के बतायेनुसार हालात निवेदन किये।

दिनांक 23.05.2023 को वक्त 9.05 ए.एम. पर पूर्व से पांबद्व सुदा स्वतंत्र गवाहान श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपतलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। समय 9.40 एएम पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया को रिश्वती मे दी जाने वाली राशि 8,000/– रुपये जो सफेद कागज मे लपेटी हुई स्थिति मे ही कार्यालय के अलमारी के डबल लॉक में रखवाये गये थे उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि को सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही गवाह श्री स्वरुपसिह से निकलवाये जाकर उन्हें सुपुर्द किये जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री रामकुमारसिह कानि. 493, श्री रामकिशोर कानि 110, श्री अमरसिंह, श्री संजय कानि. 587 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. चालक 638, एवं ब्यूरो जाप्ते का निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 0046 के कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से खेडापा की तरफ रवाना होकर समय 11.20 एएम पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल, ब्यूरो जाब्ता के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. चालक 638, एवं ब्यूरो जाप्ते का निजी वाहन नम्बर आरजे 19 सीजे 0046 के कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा पुलिस थाना खेडापा से थोडा पहले रूक कर गाडीयों को रोड के साइड में खड़ा किया। जहां पर पूर्व से पांबद्व सुदा परिवादी श्री कैलाराम अपनी निजी मोटर साईकिल के साथ उपस्थित मिला। परिवादी श्री कैलाराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास कल दिनांक 22.05.2023 को शाम को आये मोबाईल फोन अनुसार श्री जयप्रकाश जी ने मुझे आज पैसो की व्यवस्था करके फोन करके आने हेतु कहा हैं साथ परिवादी ने बताया कि अनोपी फोरेस्टर रिश्वती राशि प्राप्त करने मे सावधानी बरत रही हैं एवं अपने पति को ही पैसे लेने हेतु आगे कर रही हैं तथा पूर्व मे भी पैसे अनोपी के कहेनुसार उसका पति ही लेता हैं। परिवादी यह बताया कि अभी मैं आपके पास आने से पूर्व मैने मेरे स्तर पर पता किया तो अनोपी फोरेस्टर एवं उसका पति श्री जयप्रकाश दोनो ही अपने मकान पर ही है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने रुबरु गवाहान के परिवादी श्री कैलाराम को हिदायत दी कि जहां तक सम्भव हो रिश्वती राशि आरोपिया अनोपी को ही देने का प्रयास करें। परिवादी को यह भी हिदायत हुई कि रिश्वती राशि आदान–प्रदान के पश्चात पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा कर अवगत करावें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाराम की तलाशी गवाह श्री स्वरूपसिंह से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन एवं उसकी मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा कोई राशि या आपतिजनक दस्तावेज नही रहने दिये गये। आरोपिया को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि गवाह श्री स्वरूपसिंह के पास रखी हुई है को सफेद कागज से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि के नोटो को उपर नीचे करवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में रिश्वती राशि रू. 8,000/– रखवाई गई। तत्पश्चात गवाह श्री स्वरूपसिंह से उस सफेद कागज को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया एवं गवाह श्री स्वरूपसिंह के दोनो हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री कैलाराम को उसकी मोटरसाईकिल से श्री रामकिशोर कानि.को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर देकर हिदायत दी गई कि आप आरोपिया के मकान से थोडा पहले मोटर साईकिल रोक कर डिजिटल वायस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री कैलाराम को सुपुर्द कर रिश्वती राशि आदान–प्रदान हेतु आरोपिया के मकान के लिये रवाना करे एवं आप उक्त मकान के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे का ईन्तजार करने की हिदायत कर रवानां किया गया। मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं शेष ब्यूरो जाब्ता के सरकारी एव निजी वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर आरोपिया के मकान के आस–पास वाहनो को गोपनीय स्थान पर खडा किया जाकर वाहनो मे बैठकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मुकिम हुए।

दिनांक 23.05.2023 को वक्त 11.30 एम पर परिवादी श्री कैलाराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा रिश्वत राशि आदान–प्रदान होने का मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस अनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को अपने मोबाईल नम्बर 6376934184 से मिस कॉल कर किया, जिस पर परिवादी के उक्त ईशारे पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अन्य जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान जो सरकारी बोलेरो वाहन एवं निजी वाहन में था उन्हें उक्त घटना के बारे में बताकर हमराह लेकर आरोपिया श्रीमति एम.एस अनोप श्रेत्रिय वन अधिकारी के किराये के मकान के पास मुख्य द्वार के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री कैलाराम उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी श्री कैलाराम को साथ लेकर आरोपिया के द्वितीय तल पर स्थित किराये के मकान पहुचे तथा परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं उक्त रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सकिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी दरम्यान श्री कैलाराम ने मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस को रुबरु गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के बताया कि मैने एम.एस. अनोप के किराये के मकान के पास आकर श्री जय प्रकाश गोदारा को कल दिनांक 22.05.2023 को वक्त 7.20 पी.एम पर फोन कर मेरे को आज पैसे लेकर आने हेतु कहेनुसार श्री जयप्रकाश गोदारा के मोबाईल नम्बर 9529445989 पर काल किया तो श्री जय प्रकाश ने कहा कि मै नीचे आ रहा हुं। जिस पर मै एम.एस. अनोप के किराये के मकान के मुख्य गेट पर आया तो मेरे को श्री जयप्रकाश गोदारा उपस्थित मिला एवं श्री जयप्रकाश गोदारा ने मेरे से रिश्वती राशि के 8,000/– रुपये मांग कर अपने हाथ मे रखें जिस पर मै वहा से रवाना होकर बाहर आकर आपको मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा किया था। उक्त मकान के द्वितीय तल पर बने दो कमरो मे से दाहिने कमरे मे एक महिला एवं एक व्यक्ति उपस्थित मिले। जिस पर परिवादी श्री कैलाराम ने महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यह अनोपी फोरेस्टर हैं एवं पास मे खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह श्री जय प्रकाश गोदारा हैं जो अनोपी के पति हैं जिन्होने मेरे से अभी– अभी ग्राउण्ड फ्लोर पर रिश्वती राशि मांग कर 8,000/– रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर गिनकर अपने हाथ मे रखे थे। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस अनु चौधरी ने गवाहान, अपना व ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उनका बारी–बारी से परिचय पूछा तो महिला ने अपना परिचय एम.एस. अनोप पत्नी श्री जयप्रकाश गोदारा उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खागटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल– क्षेत्रिय वन अधिकारी रेज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर होना एवं पास खडे व्यक्ति ने अपना परिचय श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 साल निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर होना बताया। इसी दौरान श्री जयप्रकाश गोदारा के दोनो हाथ कलाईयो के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकडवाये जाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त मकान के बारे मे पूछा गया तो आरोपिया श्रीमति एम.एस अनोप ने बताया कि उक्त मकान भूराराम सियाग का हैं मै व मेरा पति उक्त मकान मे किराये पर रहते हैं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के परिवादी श्री कैलाराम की तरफ ईशारा कर दोनो आरोपिगण को परिवादी को पहचाने बाबत पूछा गया तो श्री जयप्रकाश गोदारा ने बताया कि यह श्री कैलाराम हैं यह अपने ट्रैक्टरो से उनू भाखर लवेरा मे पत्थर ढुलाई का कार्य करते हैं तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती एम.एस अनोप से भी परिवादी को पहचानने बाबत पूछा गया तो उन्होने श्री जयप्रकाश के उक्त कथनो की ताईद की। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री जय प्रकाश गोदारा से परिवादी श्री कैलाराम से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध मे पूछा गया तो श्री जयप्रकाश गोदारा ने बताया कि मैंने श्री कैलाराम से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नही की हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री कैलाराम ने बताया कि अनोपी फोरेस्टर द्वारा उनू भाखर से ट्रेक्टरो से पत्थर लाने से नही रोकने की एवज मे रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.05.2023 को प्रति ट्रेक्टर 5,000/– रु. के हिसाब से मेरे दो ट्रेक्टरो का 10,000/– रु. मागे थे मेरे द्वारा विनती करने पर 1–2 हजार रुपये कम करते हुए 8,000/– रुपये रिश्वती राशि की मांग अनुसार आज श्री जय प्रकाश गोदारा ने अभी इसी मकान के प्रथम तल पर मुख्य द्वार के पास मेरे से मांग कर 8,000/– रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर गिनकर अपने हाथ मे रखे थे। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के एम.एस अनोप एवं श्री जयप्रकाश गोदारा को पुनः तसल्ली दी जाकर रिश्वती राशि के संबंध मे पूछा गया तो श्री जयप्रकाश गोदारा ने बताया कि मैने श्री कैलाराम से अभी थोडी देर पहले इसी मकान के ग्राउण्ड फ्लोर के मुख्य द्वार पर 8,000/– लेकर ग्राउण्ड फ्लोर पर बनी सीडियो के नीचे एक कागज के नीचे रखें हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस अनु चौधरी द्वार एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी से परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो एम.एस. अनोप मौन रही तथा पुनः पूछने पर गिडगिडाते हुए कहा कि गल्ती हो गई माफ कर दो हम गरीब आदमी हैं मेरा अभी थोडे टाईम पहले ही प्रमोशन हुआ हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता, परिवादी, श्री जयप्रकाश गोदारा के (हाथ पकडे हुए अवस्था मे) लेकर ग्राउण्ड फ्लोर पहुंच सह आरोपी श्री जयप्रकाश के बताये स्थान सीडियो के नीचे रखे एक पुराने कागज को स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिंह से उटवाया गया तो उक्त कागज के नीचे फर्श पर 500–500 रुपये का एक बण्डल पडा मिला जिसे भी स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह से उठवाया जाकर उक्त कागज एवं नोटो को श्री स्वरुपसिह स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रहने दिया जाकर हमराहियान के साथ पुनः द्वितीय मंजिल पर आकर पूर्व से तैयार सुदा फर्द

पेशकशी गवाह श्री गणपतलाल को सुपुर्द कर उक्त नोटो के नम्बर स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिह से बोल–बोल कर मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये।

तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरोपियो श्रीमती एमएस अनोप के किराये के मकान के बगल मे बने एक कमरे मे करने का निर्णय लिया जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपिगणो के रुबरु अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर सह आरोपी श्री जयप्रकाश गोदारा के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पीने का साफ पानी आरोपिया के कमरे मे रखी मटकी से दोनो कॉच की गिलासों में भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में श्री जयप्रकाश गोदारा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईनूमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी झाईनूमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में श्री जयप्रकाश गोदारा के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धेवन लिया जाना आवश्यक होने से मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस , दोनो मौतबिरान मय ट्रेप बॉक्स के ग्राउण्ड फ्लोर पर पहुंच सीडियो के नीचे उस स्थान का धोवन जहा से रिश्वती राशि बरामद हुई उस स्थान का धोवन लेने हेतु एक कपडे की चिन्दी तैयार कर ट्रेप बॉक्स मेरे से साफ कांच की गिलास निकाल कर उक्त गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल कर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे चिन्दी को डूबोया जाकर रिश्वती राशि स्थल एवं जिस कागज के नीचे मिली रिश्वती राशि उस सफेद कागज का चिन्दी से रगड़–रगड कर तैयार घोल मे उक्त चिन्दी को डूबाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एफ.–1 व एफ.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि स्थल एवं सफेद कागज के धोवन के उपयोग मे ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाया जाकर एवं जिस सफेद कागज के नीचे रिश्वती राशि बरामद हुई थी उक्त कागज को भी सुखया जाकर, कागज पर एवं चिन्दी पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर थैली को शील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क– "सी" अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त बरामद सुदा भारतीय मुद्रा 8,000 रू. रिश्वती राशि के नोटो कों बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

अब तक की कार्यवाही से आरोपिया एम. एस अनोप पत्नी श्री जय प्रकाश उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई आरोपिया एम.एस. अनोप के मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखा गया। दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपिया श्रीमति एम. एस अनोप पत्नी श्री जय प्रकाश उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकॉरी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। आरोपिया श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर ने फर्द बरामदगी एवं हाथ धोवन कार्यवाही को रूबरू गवाहान के पढ, समझ अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

दिनांक 23.05.2023 को समय 03.35 पीएम तक मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल थानाधिकारी पुलिस थाना खेडापा को फोन कर दो महिला कानि. ट्रेप कार्यवाही स्थल भूराराम सियाग के मकान पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं उप वन संरक्षक श्री अदित उच्चोई से जरिये मोबाई वार्ता कर प्रकरण

[redacted]

मे आरोपिया का सेवा विवरण भिजवाने एवं आरोपिया की आवाज की पहचान हेतु हेतु आरोपिया के अधीनस्थ पदस्थापित दो कार्मिको को दिनांक 24.05.2023 को वक्त 8.00 एएम पर कार्यालय मे भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 23.05.2023 को समय 03.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री कैलाराम, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 4.05 पीएम पर पुलिस थाना खेडापा से श्रीमती सुमन पत्नी श्री प्रदीपकुमार उम्र 29 साल जाती जाट निवासी आभवास पुलिस थाना रींगस तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल महिला कानि. 955 पुलिस थाना खेडापा जिला जोधपुर ग्रामीण मोबाईल नम्बर 7220837577 एवं सुश्री भंवरी पुत्री श्री श्रीचन्द उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी सीकराली पुलिस थाना व तहसील लाडनु जिला नागौर हाल महिला कानि. 1195 पुलिस थाना खेडापा जिला जोधपुर ग्रामीण मोबाईल नम्बर 9664354614 उपस्थित आई। वक्त 4.50 पी.एम तक आरोपिया श्रीमती एम. एस अनोप पत्नी श्री जय प्रकाश उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर से की गई पूछताछ एवं अब तक की कार्यवाही से एम. एस अनोप पत्नी श्री जय प्रकाश जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री कैलाराम के पत्थर के ट्रक्टरो को निर्बाद्व रुप से परिवहन करने देने की एवज में 8,000/- रूपये रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/- रूपये अपने पति श्री जयप्रकाश द्वारा परिवादी से प्राप्त कर किराये के मकान मे सीडियो के नीचे रखना, जहॉ से रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिया श्रीमती एम. एस अनोप पत्नी श्री जय प्रकाश उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.05.2023 को वक्त 5.30 पी.एम तक सह आरोपी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर से की गई पूछताछ एवं हाथ धोवन व अब तक की कार्यवाही से सह आरोपी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री कैलाराम के पत्थर के ट्रक्टरो को निर्बाद्व रुप से परिवहन करने देने की एवज में अपनी पत्नी श्रीमतीएम.एस. अनोप द्वारा की गई 8,000/- रूपये रिश्वति राशि की मांग के अनुसरण मे वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/- रूपये प्राप्त कर किराये के मकान मे सीडियो के नीचे रखना, जहॉ से रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः सह आरोपी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गोदारो का बास खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 6.00 पी.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहन, गिरफ्तार शुदा दोनो आरोपीगण, महिला कानि0 की उपस्थिति में आरोपिया के किराये के रहवासीय मकान की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई। आरोपिया के किराये के कमरे में खाने-पीने के साधारण सामान व पहनने के कपड़े इत्यादि के अलावा कोई सामग्री नहीं होने के कारण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर फर्द खाना तालाशी मूर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया गया। वक्त 6.30 पी.एम. पर पुलिस थाना खेडापा से पूर्व मे उपस्थित आई दोनो महिला कानि. को पुलिस थाना खेडापा मे उपस्थिति देने हेतु रवाना किया गया।।

दिनांक 23.05.2023 को वक्त 6.35 पी.एम पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाराम को कल दिनांक 24.05.2023 को वक्त 8.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर ग्राम खेडापा मे छोडते हुए मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन बोलेरो चालका लालाराम कानि0 एवं निजी वाहन के मय फर्दात के मुताबिक जब्तशुदा वजह सबूत, प्रादर्श, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सहित गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी खांगटा जिला जोधपुर को हमराह लेकर ए.सी.बी. कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना होकर वक्त 8.45 पी.एम. तक मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जिला अस्पताल पावटा पहुंच गिरफ्तार सुदा दोनो आरोपिगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल रनिग नोट की गई। ताबाद रवाना होकर पुलिस थाना कुडी भगतासनी पहुंच दोनो आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि सुपुर्द

कर कार्यालय पहुंच प्रकरण से संबंधित शील्ड सुदा प्रार्दश क्रमशः मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, एफ–1, एफ–2, एक शील्डसुदा पैकेट मार्क– सी एवं शील्ड सुदा रिश्वती राशि को मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमे दिनांक 18.05.2023 को आरोपिगण एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 23.05.2023 को परिवादी एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश गोदारा के मध्य हुई रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड हैं उक्त रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 24.05.2023 को वक्त 8.00 ए. एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत दी गई।

दिनांक 24.05.2023 को वक्त 8.30 ए.एम तक पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री कैलाराम दोनो मौतबिरान श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपतलाल कार्यालय मे उपस्थित आये। वक्त 8.40 एएम तक परिवादी श्री कैलाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपत लाल की उपस्थिति में परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया श्रीमती एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम निवासी खांगटा जिला जोधपुर के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 18.05.2023 को एवं दिनांक 23.05.2023 को परिवादी श्री कैलाराम एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के मध्य रुबरु हुई वक्त लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त दोनो वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर तीन सीडीया तैयार कर एक सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापो को रुबरु मौतबिरान व परिवादी व आरोपिया के अधिनस्थ पदस्थापित कार्मिको के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 10.30 एएम तक परिवादी श्री कैलाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री स्वरुपसिह एवं श्री गणपत लाल की उपस्थिति में परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया श्रीमती एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम निवासी खांगटा जिला जोधपुर के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 18.05.2023 को एवं दिनांक 23.05.2023 को परिवादी श्री कैलाराम एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के मध्य रुबरु हुई वक्त लेन–देन वार्तालाप जो सीडी से सुन सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर अपनी अभिरक्षा में रखी गई।

वक्त 10.35 एएम पर वन विभाग जोधपुर से पूर्व से पाबन्द शुदा दो व्यक्ति उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका बारी–बारी से परिचय पुछने पर श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम नेतडा पुलिस थाना करवड जिला जोधपुर हाल वन रक्षक वन मण्डल जोधपुर रैज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर मोबाईल नं. 7690087127 एवं श्री तुलछाराम पुत्र श्री गोपुराम उम्र 55 साल निवासी गांव लुणावास तहसील बावडी पुलिस थाना कडवड जिला जोधपुर हाल पशु रक्षक वन मण्डल जोधपुर रैज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर मोबाईल नं. 6375496865 के रूप में दिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर मौखिक सहमति प्राप्त की गई। फर्द आवाज पहचानकर्ता पृथक से तैयार की जावेगी।

दिनांक 24.05.2023 को वक्त 11.30 एएम पर आरोपिया श्रीमति एम. एस अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी नाका बावडी बिलाडा जिला जोधपुर की रिकार्ड की गई वार्ता की पहचान करने हेतु आरोपिया के विभाग के तलब शुदा श्री महेन्द्रसिंह एवं श्री तुलछाराम हाजिर है। उक्त आवाज पहचानकर्ता एवं स्वतंत्र गवाहा श्री स्वरुपसिह श्री गणपतलाल के रूबरू मन् निरीक्षक पुलिस ने आपने पास रखी आरोपिया एवं परिवादी श्री कैलाराम के मध्य हुई दिनांक 18.05.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की सीडी तैयार की गई थी उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर में डालकर चलाया जाकर आरोपिया के विभाग के उपस्थित उक्त पहचानकर्ताओ को रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये जाकर अलग से फर्द आवाज पहचान तैयार कर शामिल रंनिग नोट करते हुए श्री महेन्द्रसिंह एवं श्री तुलछाराम को रवाना किया गया।

दिनांक 24.05.2023 को वक्त 11.40 ए.एम. तक परिवादी श्री कैलाराम एवं आरोपिया श्रीमति एम.एस. अनोप के मध्य दि. 18.05.2023 को रिश्वती राशि वक्त सत्यापन एवं दिनांक 23.05.2023 को परिवादी श्री कैलाराम एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के मध्य वक्त लेन–देन हुई रूबरू वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से पूर्व में तीन सीडीया तैयार की गई थी जिसमें से एक सी.डी. को मूल सीडी मानकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली मे डालकर सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड सीडी का पैकेट एवं दो खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के

हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई एवं श्री ताराचन्द हैड कानि. 112, श्री अमरसिंह कानि0 415, श्री संजय कानि. 587 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपिया श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी एवं आरोपी श्री जयप्रकाश को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नरेट जोधुपर से प्राप्त कर कार्यालय हाजा पर लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 12.15 पी.एम. तक श्री ताराचन्द हैड कानि. 112, श्री अमरसिंह कानि0 415, श्री संजय कानि.587, श्रीमति द्रोपदी महिला कानि. 1632 पुलिस थाना कुडी भगतासनी जोधपुर से जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपिया श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी एवं आरोपी श्री जयप्रकाश को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्रीमति द्रोपदी महिला कानि. 1632 को पुलिस थाना कुडी भगतासनी जोधपुर के लिए रवाना किया।

प्रकरण में परिवादी श्री कैलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में संदिग्ध आरोपिया का नाम अनोपी देवी फोरेस्टर अंकित किया गया है। परन्तु ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपितया से पूछताछ पर अपना नाम एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी, रेंज बिलाड़ा नाका बावड़ी जिला जोधपुर होना बताया है। कार्यालय उप वन सरक्षक जोधपुर के पत्र कमांक 5098 दिनांक 23.05.2023 से प्राप्त आरोपियां के सेवा विवरण में आरोपिया का नाम श्रीमति एम.एस. अनोप एवं पद क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज, बिलाड़ा नाका बावड़ी जिला जोधपुर होना पाया जाने अनुसार आरोपिया का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती एम.एस अनोप पत्नी श्री जयप्रकाश उम्र 28 साल जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारो का बास खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री कैलाराम से आरोपीगणो द्वारा ग्राम लवेरा के उनू भाखर से ट्रेक्टरो से पत्थर लाने से नही रोकने की एवज मे 8,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/– रूपये रिश्वती राशि आरोपिया श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी के पति श्री जयप्रकाश द्वारा प्राप्त करना जो आरोपी श्री जयप्रकाश द्वारा अपनें किराये के मकान की सीडीयों के निचे छुपाना जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया है। सह आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारो का बास खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में झाईनुमा हल्का गुलाबी रंग, सह आरोपी के बॅाये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग आना, 8,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपिया के किराये के मकान की ग्राउण्ड फलोर में बनी सीडीयों के निचे से बरामदगी स्थल रिश्वती राशी स्थल एवं सफेद कागज का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपिया श्रीमती एम.एस अनोप पत्नी श्री जयप्रकाश उम्र 28 साल जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेन्ज बिलाडा नाका बावडी जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवरराम उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारो का बास खांगटा तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अनु चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्रीमती एम.एस.अनोप पत्नी श्री जयप्रकाश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बिलाडा, नाका बावडी, जिला जोधपुर एवं 2. श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेंवरराम, निवासी ग्राम गोदारो का बास खांगटा, तहसील व पुलिस थाना पीपाड शहर, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 126/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 952-55 दिनांक 24.5.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ)राजस्थान, जयपुर (वन विभाग)
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

24.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर